भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 172

सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

172. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने के लिए रोक दी गई थी, परन्तु जारी नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे जारी नही करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चत करने के लिए इसे जारी करेगी और इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19, जिसके कारण आर्थिक व्यवधान हुआ, को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके।

(ग): नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्त वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा इसलिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है।

****